रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 219] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 1984/वैशाख 18, 1906
No. 219] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 1984/VAISHAKHA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1984

का. आ. 344(अ) :—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 641(अ), तारीख 10 नवम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) वैस्ट बंगाल फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इलाको हाऊस (दूसरी मंजिल) 1 और 3 ब्राब्बोर्न रोड, कलकत्ता-700001 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स ड्रा. पाल लोहमान (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता (नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का. आ. 793(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1981 सं. का. आ. 312(अ), तारीख 8 मई, 1982, का. आ. 789(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982 और का. आ. 801(अ) तारीख 10 नवम्बर, 1982 द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुज्ञा से, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 9 नवम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष और छह मास की अवधि के लिए करते रहने के लिए समय-समय पर निदेश दिया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित में यह समीचीन था कि उक्त प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त पांच वर्ष और छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी करता रहे, उक्त अधिनियम की धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उसमें ऐसे प्रबन्ध को छह मास की और अवधि के लिए बनाए रखने के लिए प्रार्थना की थी ;

और, उक्त उच्च न्यायालय ने, अपने आदेश तारीख 2 मई, 1984 द्वारा, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध छः मास की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दे दी थी ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 9 नवम्बर, 1984 तक जिसमें

यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं. 4(2)/80-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th May, 1984

S.O. 364(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 641(E), dated the 10th November, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the West Bengal Pharmacetical and Phytochemical Development Corporation Limited, Ilaco House (2nd Floor), 1 and 3, Brabourne Road, Calcutta-700001, (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), for a period of three years commencing on the 10th November, 1978;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 793(E), dated the 9th November, 1981, S.O. 312(E), dated the 8th May, 1982, S.O. 789(E), dated the 9th November, 1982 and S.O. 801(E), dated the 10th November, 1983, the Central Government, with the permission of the High Court at Calcutta, under section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had from time to time directed the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a period of five years and six months upto and inclusive of the 9th May, 1984;

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the said period of five years and six months made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the said Act to the High Court at Calcutta praying for the continuance of such management for a further period of six months;

And, whereas, the said High Court, by its Order dated the 2nd May, 1984, permitted the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 9th November, 1984.

[File No. 4(2)|80-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984